न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर
बीकानेर

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00030)

शांति पुत्री धनपत जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील रावतसर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश दत्तक पुत्र धनपत जाति जाट निवासी निरवाल तहसील रावतसर।
2. रामप्यारी पुत्री धनपत पत्नी लूणाराम जाति जाट साकिन रामपुरा हाल निवासी बणी तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा) जरिये मुख्त्यारआम बलदेव सिह पुत्र लूणाराम जाति जाट साकिन बणी तहसील राणियां जिला सिरसा (हरियाणा)
3. रामेश्वरी पुत्री धनपत पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :— श्री महावीर प्रसाद शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
उपस्थित :— श्री विजय कुमार पारीक — रेस्पोडेन्ट संख्या 1
उपस्थित :— श्री मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थितः— श्री पंकज जोशी — रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय **दिनांक 20—10—2021**

1. यह अपील भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) के निर्णय दिनांक 26—04—2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट शांति ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर निवेदन किया कि रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार राजस्व रावतसर द्वारा वादगत भूमि का नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 22.03.1999 को अपने निर्णय दिनांक 04.01.2016 द्वारा खारिज कर पूर्व की स्थिति बहाल कर इन्तकाल संख्या 222 तस्दीक कर दिया है, जिसको अपास्त फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26—04—2018 द्वारा अपीलान्ट

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की अपील खारिज कर दीं उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अभिभाषक बहस के दौरान उपस्थित नही हुवे ।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने दिनांक 10.05.2018 को प्राथमिक कानूनी आपत्ति अपील डिफेक्टिव होने व अनकम्पलीट तथा दुसरी आपत्ति अपील मेन्टेनेबल नही होने एवं दिनांक 30.05.2018 को अपील मेन्टेनेबल न होने की पेश की। जिस पर अपीलान्ट के अभिभाषक का दिनाक 30.05.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आदेश दिनांक 09.07.2018 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक की तीनो आपत्ति निरस्त की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 12.07.2018 को सी.पी.सी के सैक्शन 11 के तहत रेस्ज्यूडीकेटा लागू होने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अपीलान्ट के अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2018 को पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं.1 के अभिभाषक ने दिनाक 12.06.2019 को अपील मेन्टेनेबल न होने की आपत्ति पेश की जिस अपीलान्ट के अभिभाषक ने दिनांक 09.07.2019 को जवाब पेश किया। दिनांक 23.07.2019 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 12.06.2019 को पेश आपत्ति का विज्ञा किये जाने अनुमति चाही। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 10.08.2021 को अपीलान्ट द्वारा अपील में ग्राम पंचायत सरपंच रामपुरा मटोरिया को पक्षकार नही बनाये जाने पर अपील को अनकम्पलीट बताया, जिसका औपचारिक जबाब अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया बल्कि अन्तिम बहस में इस आपत्ति का जबाब देने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि वादगत भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पिता धनपत के नाम से सन् 1955 से पूर्व की थी जिसका वह एक मात्र मालिक व काबिज था। उक्त भूमि मे उसके भाई रामप्रताप एवं जसराम के वारिस पुत्र रामकिशन का कोई हक न होते हुए भी गलत ढंग से खाता विभाजन करा लिया। जगदीश अपने आपको धनपत का गोद लिया हुआ पुत्र मानता है, जबकि न तो धनपत ने जगदीश को गोद लिया था और न ही खोलानामा कानून के मुताबिक सही है। जगदीश रामप्रताप का पुत्र हैं। रामप्रताप के एक ही पुत्र जगदीश है जिसे कानून के मुताबिक गोद नही दिया जा सकता। गोद लेने हेतु, गोद लेने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी की सहमति आवश्यक है, घनपत की पत्नी जीवित होते हुए भी गोदनामे पर उसके हस्ताक्षर नही है। जगदीश के खोलानामा को निरस्त कराने के लिए हाई कोर्ट में अपील पेश कर रखी है। जब तक हाई कोर्ट से गोदनामे के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही हो जाता तक इंतकाल नं. 93 जैर अपील मे कोई परिर्वतन नही किया जाना चाहिए। रेस्पोडेन्ट जगदीश ने इन्तकाल संख्या 93 को निरस्त कराने के लिए उपखण्ड अधिकारी रावतसर में अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 27.10.2015 द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 93 खारिज कर तहसीलदार रावतसर को रिमाण्ड कर पुन सुनवाई कर इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश दिये। अपीलान्ट ने उक्त आदेश दिनांक 27.10.2015 की अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश कर रखी है। परन्तु तहसीलदार ने नियम विरूद्व आराजी जैर अपील इन्तकाल संख्या 93 को निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए इन्तकाल सं. 222 दिनांक 4.1.2016 को दर्ज कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2018 एवं इन्तकाल सं. 222 दिनांक 04.01.2016 खारिज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 222 के लिए तहसीलदार द्वारा

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

[illegible] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर
बीकानेर

पारित आदेश दिनांक 22.12.2015 के मूल आदेश की अपील पेश नही की जबकि अपील हमेशा मूल आदेश के विरूद्व पेश होती है। इसलिए यह अपील खारिज योग्य है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अभिभाषक ने आपत्ति पेश कर यह भी कहा कि इस प्रकरण में ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया आवश्यक पक्षकार है। अपीलान्ट ने प्रथम अपील एव अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष भी ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया को पक्षकार बनाया गया था। दिनांक 27.10.2015 सहायक कलक्टर रावतसर के आदेश के विरूद्व अपील मे पक्षकार बनया गया था। इन्तकाल संख्या 222 व 227 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील में भी ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया को पक्षकार बनाया गया था। इस अपील मे भी ग्राम पंचायत सरपच रामपुरा मटोरिया आवश्यक पक्षकार है। उसको पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त अपील द्वितीय अपील के तौर पर पर पेश की गई है जो नियम विरूद्व है क्योकि रिमाण्ड होने के पश्चात पुनः सुनवाई होकर तहसीलदार द्वारा इन्तकाल संख्या 222 व 227 दर्ज किये गये है। जब प्रकरण डिस्प्यूटेड हो चुका था तो इनकी अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर को न होकर संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की जानी चाहए थी। तहसीलदार द्वारा जगदीश की भूमि का इन्तकाल जगदीश के नाम तथा धनपत की भूमि का इन्तकाल धनपत के नाम किया। अपील अनकम्पलीट होने से व डिफेक्टिव होने से तथा आदेश के विरूद्व अपील ना होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2004 पृष्ठ 101, RRD 2008 पृष्ठ 755, RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2010 पृष्ठ 557, RRD 2010 पृष्ठ 393, RRD 2008 पृष्ठ 587, RRD 2002 पृष्ठ 330, RRD 2009 पृष्ठ 637, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

8. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस्ज्यूडिकेटा में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किये गये है कि किस आधार पर प्रकरण रेस्ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है, इसलिए प्रार्थना पत्र रेस्ज्यूडिकेटा खारिज किया जाता है। साथ ही ग्राम पचायत रामपुरा मटोरिया को पक्षकार नही बनाये की आपत्ति पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से पर स्पष्ट होता है कि प्रथम अपील व निर्णय में ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया को पक्षकार नही बनाया गया तथा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 222 निर्णित किया गया है ना ही ग्राम पंचायत से कोई अनुतोष की मांग की गई ऐसी स्थिति मे ग्राम ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. उक्त अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 26.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें तहसीलदार रावतसर के द्वारा नामान्तकरण सं. 222 दिनांक 04.01.2016 को निर्णित किया गया है के विरूद्व पेश की गई थी। उक्त नामान्तकरण सं. 222 दिनांक 04.01.2016 उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 के द्वारा नामान्तकरण सं. 93 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार रावतसर को रिमाण्ड करने के निर्णय के आधार पर पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए दर्ज किया गया है। जबकि उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 के विरूद्व अदालतवाला में अपील सं. 109/207 (पुराना नं. 142/2015) दिनांक 16.11.2015 को प्रस्तुत की गई थी। जो कि नामान्तकरण सं. 222 दर्ज करते समय भी विचाराधीन थी, उक्त अपील का निर्णय आज ही करते

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हुए उपखण्ड अधिकारी रावतसर के निर्णय दिनांक 27.10.2015 को निरस्त किया गया है, ऐसी स्थिति मे उक्त निर्णय दिनांक 27.10.2015 के अनुसरण मे दर्ज किया गया, नामान्तकरण सं. 222 को यथावत रखना न्यायोचित नही है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 26–04–2018 एवं नामान्तकरण सं. 222 को भी निरस्त किया जाता है।

10. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर